अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

(आयकर)

का.आ. 27(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 732(अ) दिनांक 3 जुलाई, 2001 समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: अनुसूची-I में,—

(i) क्रम सं. 190 पर "प्रादेशिक क्षेत्र" शीर्ष के अंतर्गत कॉलम संख्या 4 में, प्रविष्टि नामत:, "600037-ओ.टी.ए." को हटा दिया जाए।

(ii) क्रम सं. 193 पर, "प्रादेशिक क्षेत्र" शीर्ष के अंतर्गत कॉलम सं. 4 पर "600034-नुगम्बक्कम" और "600038-आई सी एफ कालोनी" प्रविष्टियों के मध्य निम्नलिखित को शमिल किया जाए, नामत: "600037-मोगाप्पेयर" ·

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 5/2004/फा. सं. 187/15/2003-आयकर नि. I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव